

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, मीरजापुर।

नजारत अनुभाग

निविदा सूचना

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक 1549/एडमिन (बी-1) अनुभाग दिनांकित 02.05.2024 के अनुपालन में न्यायालय परिसर में स्थित दुकान संख्या-01 पूड़ी, मिठाई व नमकीन की नीलामी हेतु मुहरबन्द निविदाएं आमन्त्रित करके नीलामी की जानी है। जिसकी अमीन शहर की आख्या के अनुसार जनपद न्यायालय परिसर, मीरजापुर में स्थित दुकान संख्या 01 के जमीन की लम्बाई 29 फिट एवं चौड़ाई 23 फिट है। कोई भी मुहरबन्द निविदा प्राप्त न होने के कारण नीलामी की कार्यवाही स्थगित कर पुनः नीलामी की कार्यवाही दिनांक 08.08.2024 नियत की जाती है।

नीलामी कार्यवाही हेतु केन्द्रीय नाजिर को निर्देशित किया जाता है कि जनपद न्यायालय, मीरजापुर के परिसर में स्थित दुकान संख्या-01 पूड़ी, मिठाई व नमकीन की नीलामी की सूचना का प्रकाशन कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।

इच्छुक व्यक्ति मुहरबन्द निविदा दिनांक 07.08.2024 तक कार्यालय समयावधि तक नजारत अनुभाग में जमा कर सकते हैं। मुहरबन्द निविदा दिनांक 08.08.2024 को सायं 04:30 बजे न्यायालय परिसर के मीटिंग हॉल में खोली जायेंगी। नीलामी प्रक्रिया के सम्बन्ध में अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय नाजिर, जनपद न्यायालय, मीरजापुर से किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय के दौरान प्राप्त की जा सकती है।

जनपद न्यायाधीश, मीरजापुर को किसी भी बोली को बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

सामान्य शर्तें

- 1- इस नीलामी में केवल वही व्यक्ति प्रतिभाग कर सकेगा जो पूर्व में किसी प्रकार से डिफाल्टर न रहा हो।
- 2- Security Money प्रत्येक दुकान की 10,000/-रुपये होगी।
- 3- आवंटन के पश्चात सम्पूर्ण धनराशि का 25 प्रतिशत धनराशि तत्काल जमा की जायेगी शेष 75 प्रतिशत 7 दिन के अन्दर जमा करना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर दुकान का आवंटन बिना पूर्व सूचना के निरस्त किया जा सकता है। धनराशि जमा करने की अवधि किसी भी दशा में बढ़ायी नहीं जायेगी।
- 4- आवंटी को आवंटित दुकान किसी अन्य को किराये पर उठाने का अधिकार नहीं होगा।
- 5- आवंटी को आवंटित दुकान में स्थायी प्रकृति के निर्माण का कार्य/अतिक्रमण का अधिकार नहीं होगा। ऐसा करने पर नीलामी निरस्त किया जा सकता है।
- 6- आवंटीगण द्वारा नीलामी की शर्तों के उल्लंघन पर बिना किसी पूर्व सूचना के नीलामी निरस्त कर जमानत की धनराशि बहक सरकार जब्त कर ली जायेगी।

- 7- आवंटीगण आवंटित दुकान में जनपद न्यायालय परिसर की विद्युत का उपभोग नहीं करेंगे।
इसके लिये उन्हे अलग से विद्युत कनेक्शन लेना अनिवार्य होगा।

Santosh Kumar Gautam
(संतोष कुमार गौतम) 16/7/2024
अध्यक्ष, नीलामी समिति/
अपर जनपद न्यायाधीश, कक्ष संख्या-3,
मीरजापुर।

प्रतिलिपि:-

- 1- जिला सूचना अधिकारी, मीरजापुर को समस्त समाचार पत्र में अविलम्ब निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
- 2- जनपद न्यायालय, मीरजापुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
- 3- जिलाधिकारी, कार्यालय मीरजापुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
- 4- नगर पालिका परिषद मीरजापुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
- 5- सिस्टम अधिकारी, जनपद न्यायालय, मीरजापुर निविदा सूचना को माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद तथा जनपद न्यायालय, मीरजापुर के बेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

Santosh Kumar Gautam
(संतोष कुमार गौतम) 16/7/2024
अध्यक्ष, नीलामी समिति/
अपर जनपद न्यायाधीश, कक्ष संख्या-3,
मीरजापुर।